

संगरूर में मौतों का सिलसिला जारी • मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट जहरीली शराब से 10 और मौतें मृतक संख्या 18 हुई, 31 का चल रहा इलाज

भास्कर न्यूज़। संगरूर/दिंडवा

मत रोओ, मैं तो तेरे साथ हूँ...

जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला थपने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को 10 और लोगों ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ मृतकों का आंकड़ा 18 पहुँच गया है। इसके अलावा संगरूर और पटियाला में अब भी 31 लोगों का इलाज चल रहा है। मरने वाले अधिकतर सुनाम हल्के के अंतर्गत आने वाले रिक्वी रविदासपुरा के निवासी हैं। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः सेंशन लेते हुए पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। इस बीच डीसी जतिंदर जोरवाल का कहना है कि हवाई पावर जांच कमेटी घंट या सुबह तक रिपोर्ट दे देगी। रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई के लिए सरकार को सिफारिश भेज दी जाएगी।

वहीं, विभिन्न स्तरों ने मृतकों के परिवारों के सदस्यों को साथ लेकर डीसी दफ्तर के समक्ष पक्का मोर्चा लगा दिया है। आश्रित अब 25 लाख की बजाए 10 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और कर्ज माफ करने की मांग कर रहे हैं। इनकी यह भी मांग है कि सरकार मृतक परिवारों के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी ले। बता दें कि जहरीली शराब बनाने वाले सरगना समेत चार



संगरूर में डीसी दफ्तर के बाहर पक्का मोर्चा लगाकर बैठा पीड़ित परिवार।

तस्करी नहीं रोक पाने के लिए ये 4 अफसर जिम्मेदारी

• दिंडवा हल्के में एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर मोहन सिंह और सुनाम हल्के में प्रकाश सिंह तैनात हैं। ये दोनों अफसर तस्करी रोकने में नाकामयाब रहे। • दिंडवा के एसएचओ गुरमीत सिंह और सुनाम के एसएचओ सुखदीप सिंह भी तस्करी को नहीं रोक पाए।

तस्कर का कोर्ट में किया था चालान : एसएचओ

दिंडवा के एसएचओ गुरमीत सिंह का कहना है कि तस्कर मनप्रीत सिंह पर पिछले माह ही मामला दर्ज किया था। उससे 18 थोतल शराब बरामद की गई थी। 16 मार्च को कोर्ट में चालान पेश किया गया है। पुलिस की ओर से रूटीन में नाकाबंदी और चेकिंग की जाती है। वहीं, एईटीसी (आवकारी) रोहित गर्ग के मुताबिक विभाग को टीम लगातार नाके लगाकर तस्करों को पकड़ती है।

को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिस कारण मौत का सिलसिला अधिकारियों ने यह भी कहा था कि दिंडवा हल्के के बाद सुनाम में शुरू जहरीली शराब अब भी क्षेत्र में मौजूद हो गया है।



■ NHRC, India, presented awards to the seven winners of its short films on Human Rights competition in 2023. NHRC, India Chairperson, Justice Arun Mishra, described films as a potent and effective means of bringing change in society, and how sufferers should be empathised with.

NHRC takes suo motu cognizance of spurious liquor deaths in Punjab

<https://theprint.in/india/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-spurious-liquor-deaths-in-punjab/2011850/>

Five people died and another five are in the hospital after consuming spurious liquor in Gujran village, Punjab.

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of the deaths of five from consumption of spurious liquor in Gujran village, Punjab, in the intervening night of 19 to 20 March 2024.

The commission has called for a detailed report from the Chief Secretary and the Director General of Police, Punjab, including the status of the FIR registered by the police, medical treatment of the victims, and compensation if any, granted to the aggrieved families.

It has further requested the Director General of Police to submit a report within four weeks. The report should also mention the action taken against the officers responsible for the incident.

Citing a media report, NHRC said the victims had consumed spurious alcohol on 18 March. They were rushed to the hospital when their condition deteriorated.

डॉ. भंडारी ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की कई खामियां बताईं



पाली | दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से आयोजित डिस्कविलिटी कोर ग्रुप की बैठक में डॉ. वैभव भंडारी ने भाग लिया। बैठक में डॉ. भंडारी ने समावेशी रास्ट्र के निर्माण में बाधक वर्तमान समस्याओं से अवगत करवाया। प्रतिशत दिव्यांगता के बारे में जानकारी दी और उनकी तकलीफों से अवगत करवाया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की खामियों से अवगत करवाया। प्रतिशत दिव्यांगताओं के अनुरूप अक्षर से दिशा-निर्देश जारी करने, योजनाएं बनाने, सभी राज्यों में एक समान आर्थिक सहयोग देने सहित अन्य विषयों पर विचार रखे। इसमें कौशल विकास और रोजगार के रास्ते के समावेशिता का मानचित्रण, समावेशी शिक्षा में कर्मियों को दूर करना, रोजगार में नियोजन एवं समावेशी रास्ट्र का निर्माण पर चर्चा की। इस पर आयोग सदस्य डॉ. डीएम मुले, विजया भारती सयानी, महानिदेशक अजय भटनागर, संयुक्त सचिव अनिता सिन्हा, देवेन्द्र कुमार सहित मंत्रालयों के अधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

India News | NHRC Issues Notice to Punjab Govt over 5 Deaths in Sangrur Allegedly Due to Spurious Liquor

<https://www.latestly.com/agency-news/india-news-nhrc-issues-notice-to-punjab-govt-over-5-deaths-in-sangrur-allegedly-due-to-spurious-liquor-5838674.html>

<https://www.republicworld.com/india/nhrc-issues-notice-to-punjab-govt-over-5-deaths-in-sangrur-allegedly-due-to-spurious-liquor/>

Get latest articles and stories on India at LatestLY. The National Human Rights Commission on Friday issued a notice to the Punjab government over the reported death of five people after consuming spurious liquor in Sangrur district.

New Delhi, Mar 22 (PTI) The National Human Rights Commission on Friday issued a notice to the Punjab government over the reported death of five people after consuming spurious liquor in Sangrur district. The commission has sought a report within four weeks.

"The NHRC has taken suo motu cognisance of a media report that five persons died after consuming spurious liquor in Gujran village in Sangrur District, Punjab on the intervening night of 19-20 March 2024. Reportedly, another five persons are undergoing treatment at the hospital," an official statement by NHRC said.

The Commission has observed that the contents of the media report, if true, amount to serious issues of violation of the human rights of the victims.

"Apparently, the incident shows the negligence of the local administration and the state government in prohibiting the sale and consumption of spurious liquor. Accordingly, it has issued the notices to the chief secretary and the director general of police, Punjab calling for a detailed report in the matter at the earliest but not later than four weeks," the Commission said. "The report should include the status of the FIR registered by the police, medical treatment of the victims and compensation if any, granted to the aggrieved families. The Commission would also like to know about the action taken against the delinquent officers, responsible for the incident," it added. According to the media report, the victims had consumed the spurious alcohol on March 18, 2024. They were rushed to the hospital when their condition deteriorated.

Sangrur hooch tragedy toll mounts to 16

Patiala: Eight more people died on Friday after drinking spurious liquor in Sangrur, Punjab, on Wednesday, taking the death toll to 16. Police have arrested eight people, four of whom were arrested on Friday.

The National Human Rights Commission has taken suo motu cognisance of the deaths and observed that the “contents of the media report, if true, amount to serious issues of violation of the human rights” of the victims. It has issued notices to the Punjab chief secretary and DGP calling for a detailed report at the earliest.

Several others are undergoing treatment at various hospitals. TNN

NHRC Issues Notice To Punjab Govt Over 5 Fatalities From Spurious Liquor Reported In Sangrur District

<https://www.freepressjournal.in/india/nhrc-issues-notice-to-punjab-govt-over-5-fatalities-from-spurious-liquor-reported-in-sangrur-district>

According to the media report, the victims had consumed the spurious alcohol on 18th March, 2024.

The National Human Rights Commission, NHRC, India has taken suo motu cognizance of a media report that five persons died after consuming spurious liquor in Gujran village in Sangrur District, Punjab in the intervening night of 19th-20th March, 2024. Reportedly, another five persons are undergoing treatment at the hospital.

NHRC Deems Spurious Liquor Tragedy

The Commission has observed that the contents of the media report, if true, amount to serious issues of violation of the human rights of the victims. Apparently, the incident shows the negligence of the local administration and the State government in prohibiting the sale and consumption of spurious liquor.

Accordingly, it has issued the notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Punjab calling for a detailed report in the matter at the earliest but not later than four weeks.

NHRC Report On Status of FIR, Medical Treatment, Compensation & Action Against Delinquent Officers

The report should include the status of the FIR registered by the police, medical treatment of the victims and compensation if any, granted to the aggrieved families. The Commission would also like to know about the action taken against the delinquent officers, responsible for the incident.

According to the media report, the victims had consumed the spurious alcohol on 18th March, 2024. They were rushed to the hospital when their condition deteriorated.

एनएचआरसी ने संगरूर में नकली शराब से हुई मौत पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया

एजेंसी ■ नई दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संगरूर जिले में नकली शराब पीने से हुई पांच लोगों की कथित मौत को लेकर शुक्रवार को पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। आयोग ने पंजाब सरकार से इस घटना के सिलसिले में चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। उसके एक बयान में कहा गया है, एनएचआरसी ने मीडिया की इस खबर का स्वतः संज्ञान लिया है कि पंजाब में संगरूर जिले के गुजरान गांव में 19-20 मार्च की दरम्यानी रात को नकली शराब पीने के बाद पांच लोगों की मौत हो गई। खबर है कि अन्य पांच लोगों का अस्पताल

में इलाज चल रहा है। उसने कहा है कि यदि यह खबर सही है तो यह हताहतों के मानवाधिकार के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। आयोग ने कहा, जाहिर तौर पर, यह घटना नकली शराब की बिक्री एवं सेवन के रोकथाम में स्थानीय प्रशासन एवं राज्य सरकार की लापरवाही दर्शाती है। ऐसे में, पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर उनसे इस मामले में अधिकतम चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। उसने कहा, रिपोर्ट में पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी की स्थिति, बीमार लोगों के उपचार, पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति (यदि कोई दी गई है तो) का जिक्र होना चाहिए।

एनएचआरसी ने संगरूर में नकली शराब से हुई मौत पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया

<https://hindi.theprint.in/india/nhrc-issues-notice-to-punjab-government-on-death-due-to-spurious-liquor-in-sangrur/674940/>

<https://www.aajtak.in/india/punjab/story/sangrur-liquor-case-8-people-died-again-due-to-poisonous-liquor-8-accused-arrested-so-far-lclcn-1904417-2024-03-22>

नयी दिल्ली, 22 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संगरूर जिले में नकली शराब पीने से हुई पांच लोगों की कथित मौत को लेकर शुक्रवार को पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया।

आयोग ने पंजाब सरकार से इस घटना के सिलसिले में चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।

उसके एक बयान में कहा गया है, “ एनएचआरसी ने मीडिया की इस खबर का स्वतः संज्ञान लिया है कि पंजाब में संगरूर जिले के गुजरान गांव में 19-20 मार्च की दरम्यानी रात को नकली शराब पीने के बाद पांच लोगों की मौत हो गयी। खबर है कि अन्य पांच लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।”

उसने कहा है कि यदि यह खबर सही है तो यह हताहतों के मानवाधिकार के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है।

आयोग ने कहा, “ जाहिर तौर पर, यह घटना नकली शराब की बिक्री एवं सेवन के रोकथाम में स्थानीय प्रशासन एवं राज्य सरकार की लापरवाही दर्शाती है। ऐसे में, पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर उनसे इस मामले में अधिकतम चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गयी है।”

उसने कहा, “रिपोर्ट में पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी की स्थिति, बीमार लोगों के उपचार, पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति (यदि कोई दी गयी है तो) का जिक्र होना चाहिए। आयोग यह भी जानना चाहेगा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है।”

खबरों के मुताबिक 18 मार्च, 2024 को इन लोगों ने नकली शराब पी थी और जब उनकी स्थिति बिगड़ने लगी तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

अब सुनाम में जहरीली शराब ने छीनीं 5 जिंदगियां

गुरतेज प्यासा/निस
संगरूर, 22 मार्च

संगरूर जिले के गुजरां गांव में जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि सुनाम में भी जहरीली शराब से पांच लोगों की मौत हो गई। सात की हालत गंभीर है। एसएमओ संजय कामरा ने बताया कि इलाज के लिए अस्पताल लाये गये मरीजों में से दो की पहले ही मौत हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि यहां पहुंचे मरीजों में से 7 को संगरूर और 4 गंभीर मरीजों को पटियाला रेफर कर दिया गया। रेफर किये गये मरीजों में से एक की मौत हो गयी है। मृतकों की पहचान रविदासपुरा टिब्बी निवासी गुरुमीत सिंह (45), लच्छा सिंह (40), बुध सिंह (70), सेवक (40) और सखी नाथ (65) के तौर पर

हुई है। सुनाम के डीएसपी मनदीप सिंह ने बताया कि कथित जहरीली शराब बेचने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस संबंध में सुनाम के सिविल अस्पताल के डॉ. चमनदीप सिंह का कहना है कि शुक्रवार शाम तक पांच लोगों के शवों का पोस्टमार्टम हुआ। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि मरने वालों की संख्या 6 है।

इस मामले की सूचना मिलते ही डीएसपी अपनी टीमों के साथ टिब्बी रविदासपुरा बस्ती पहुंचे। जांच के दौरान कुछ बोटलें बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि इन बोटलों का ब्रांड गुजरां से प्राप्त शराब से मिलता-जुलता है। इस बीच, मृतकों के वारिसों ने नकली शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

गुजरां में मरने वालों की संख्या नौ हुई

गुजरां गांव में जहरीली शराब मामले में एक और व्यक्ति की मौत हो गई जिसकी पहचान जर्नेल सिंह के तौर पर हुई। इस तरह अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब पीने से तबीयत बिगड़ने पर अब भी 10 लोगों का इलाज संगरूर और पटियाला के अस्पतालों में चल रहा है। संगरूर के एसएसपी सरताज सिंह ने बताया कि इस शराब कांड के प्रमुख सरगना बताए जा रहे हरमनप्रीत सिंह ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उसे शराब बनाने का आइडिया यूट्यूब से आया था। वह कच्चा माल दिल्ली से लेकर आता था और घर में ही नकली शराब तैयार करता था।

पंजाब सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस
शराब कांड में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने मामले में मीडिया रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिया है। इस बीच, भाजपा नेता परणित कौर ने कहा कि शराब नीति के सरगना केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने पंजाब के सीएम दिल्ली चले गए, लेकिन मारे गए लोगों के घर जाने के लिए उनके पास वक्त नहीं है।

दैनिक ट्रिब्यून

Sat, 23 March 2024

<https://epaper.dainiktribun>



NHRC core-group meeting on the Right to Food held



NHRC, India organised a core group meeting on the Right to Food with a focus on the PDS. Chairing the meeting, NHRC Member, Vijaya Bharati Sayani

highlighted the importance of the PDS in serving over 80 crore citizens of India and its effectiveness in addressing the specific nutritional needs of vulnerable groups.

दारोगा मीरा सिंह का मोबाइल बोलेगा, करप्शन के राज खोलेगा! ED को मिले अहम सबूत

<https://thefollowup.in/jharkhand/news/ed-got-important-evidence-from-meera-singh-chat-her-influence-still-intact-even-after-coming-out-of-jail-42843.html>

तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह और एक कांग्रेस नेता के घर पर गुरुवार को ईडी ने दबिश दी थी। मीरा के आवास पर छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने 8 मोबाइल और 15 लाख कैश जब्त किया था। इन मोबाइल फोन से एजेंसी ने करीब 100 जीबी डाटा रिकवर किया है। वाट्सएप का चैट भी रिकवर किया गया है, जिसमें कई चौकाने वाले खुलासे हुए हैं। व्हाट्सएप चैट में पाया गया कि मीरा सिंह ने कांग्रेस नेता मोहित शाहदेव समेत कई लोगों के साथ बालू की तस्करी की बातचीत की है। कई ट्रकों के नंबर भी चैट में पाए गये हैं। जिन्हें पासिंग देने की बात लिखी हुई है। जानकारी के मुताबिक चैट में एक आईपीएस की पोस्टिंग कराने की भी बात लिखी है।

जेल से बाहर आने के बाद और पावरफुल हुई मीरा

बात 2021 की है जब मीरा सिंह को खूंटी की महिला थाना प्रभारी रहते 15 हजार रुपये रिश्वत के साथ एसीबी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बावजूद उनके रसूख में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह और ज्यादा पावरफुल होकर बाहर निकलीं। जेल से बाहर आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने उनका खूंटी जिला बल में ट्रांसफर कर दिया था लेकिन, उनके रसूख की वजह से पुलिस मुख्यालय को अपना आदेश रद्द करना पड़ा और फिर मीरा की पसंद से रांची जिला बल में पदस्थापित किया गया।

2012 बैच की हैं मीरा

बता दें कि मीरा सिंह 2012 बैच की दारोगा हैं। वह सत्ता की करीबी रही हैं। उनकी पहुंच यहां तक है कि एक बार डीजीपी को भी उनके तबादले का आदेश वापस लेना पड़ा था। 25 फरवरी, 2021 को खूंटी में थाना प्रभारी रहते हुए मीरा सिंह को एसीबी ने 15 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा था। रांची जिला में स्थानांतरित होने के बाद मीरा सिंह को 2 साल पहले तुपुदाना ओपी का थाना प्रभारी बनाया गया था। मीरा सिंह पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। उन्हें पद से हटाने की भी अनुशंसा हुई है।

विवादों से मीरा का गहरा नाता

मीरा सिंह का विवादों से गहरा नाता रहा है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री सह ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास भी पूर्व में कई बार सरकार को पत्र लिखकर मीरा सिंह पर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। झारखंड उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी दारोगा मीरा सिंह पर पहले से मुकदमा चल रहा है।

Cuncolim bypass to not harm bldgs: CM

TIMES NEWS NETWORK

Margao: Chief minister **Pramod Sawant** has reassured the residents of Cuncolim that the proposed bypass will not harm any structures in the area.

He emphasised the ongoing efforts to speed up the expansion of NH 66. The assurance was given during a recent meeting with local traders as part of BJP's campaign for the upcoming Lok Sabha polls.

Responding to concerns raised by some residents about potential displacement due to the bypass, Sawant addressed the issue directly. Opposition leader Yuri Alemao had earlier urged the govt to select a bypass route on NH 66 that would not impact the homes of the people in Cuncolim.

Sawant further said he has already directed the relevant departments to promptly tackle air and water pollution at the Cuncolim industrial estate, ensuring a resolution by April.

Recently, residents staged a candlelight rally to protest pollution at the industrial estate and the govt's lack of response to their memorandum.

They also conducted an 'inspection' of the industrial estate's units to identify pollution sources and initiated a signature campaign calling for action to curb pollution.

A resident also lodged a complaint with the National Human Rights Commission against the chairperson of the Goa State Pollution Control Board alleging negligence in controlling pollution.



एनएचआरसी ने संगरूर में नकली शराब से हुई मौत पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली, (विप्र) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संगरूर जिले में नकली शराब पीने से हुई पांच लोगों की कथित मौत को लेकर शुक्रवार को पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। आयोग ने पंजाब सरकार से इस घटना के सिलसिले में चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। उसके एक बयान में कहा गया है, एनएचआरसी ने मीडिया की इस खबर का स्वतः संज्ञान लिया है कि पंजाब में संगरूर जिले के गुजरान गांव में 19-20 मार्च की दरम्यानी रात को नकली शराब पीने के बाद पांच लोगों की मौत हो गयी। खबर है कि अन्य पांच लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसने कहा है कि यदि यह खबर सही है तो यह हताहतों के मानवाधिकार के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। आयोग ने कहा, जाहिर तौर पर, यह घटना नकली शराब की बिक्री एवं सेवन के रोकथाम में स्थानीय प्रशासन एवं राज्य सरकार की लापरवाही दर्शाती है। ऐसे में, पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर उनसे इस मामले में अधिकतम चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गयी है। उसने कहा, रिपोर्ट में पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी की स्थिति, बीमार लोगों के उपचार, पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति (यदि कोई दी गयी है तो) का जिक्र होना चाहिए।

अब सुनाम में जहरीली शराब से सात लोगों की मौत

संगरूर जिले में अवैध शराब से तीन दिन में 15 की गई जान...जिस शराब से गुज्जरा में मरे लोग, वही टिब्बी रविदासपुरा में भी मिली

संवाद न्यूज एजेंसी

सुनाम ऊधम सिंह वाला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले संगरूर में जहरीली शराब से लोगों के मरने का सिलसिला नहीं थम रहा है। संगरूर के गांव दस-दस रुपये में गुज्जरा में आठ लोगों की मौत के बाद अब बिक रहे थे पेग शराब को सुनाम बारह लोग गंभीर को टिब्बी रविदासपुरा बस्ती में सात लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। बारह लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया है।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस शराब से गुज्जरा में पीने से लोगों की मौत हुई थी, वही जहरीली शराब अब सुनाम में बिक रही है। इसके सेवन से लोगों की तबीयत खराब हो गई। टिब्बी रविदासपुरा बस्ती की लोगों ने बताया कि यहां अवैध



बुद्ध सिंह गुरमीत सिंह ज्ञान सिंह लच्छा सिंह

महिला समेत 6 पर हत्या का केस

पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एसएचओ सुखदीप सिंह ने बताया कि मंगल सिंह निवासी रविदासपुरा, गुरलाल सिंह उभावाल, तरसेम सिंह, हरमनप्रीत सिंह, सोमा कौर और संजू के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है।

एमपी, गोवा व राजस्थान से ईएनए मंगवा कर पंजाब में बनवाई जा रही नकली

शराब... चंडीगढ़। पंजाब में नकली शराब का कारोबार अब तक कई लोगों की जिंदगी निगल चुका है। पंजाब में इस नकली शराब के कारोबार में कई डिस्टिलरी कंपनी के नुमाइंदे और कारिंदे भी शामिल हैं। >> पेज 3

शराब का धंधा सरेआम चलता है। सस्ती व खुली शराब देने का लालच देकर लोगों को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां 10-10 रुपये में शराब के पेग बनाकर बेचे जा रहे थे। टिब्बी रविदासपुरा बस्ती में शराब से जान गंवाने वालों में जखेपल के ज्ञान सिंह के अलावा सुनाम टिब्बी रविदासपुरा के लच्छा सिंह (लेहलखुर्द), दर्शन सिंह, गुरमीत सिंह, बुद्ध सिंह, दर्शन

सिंह और रफीनाथ शामिल हैं। वहीं, परमजीत सिंह, भोला सिंह, रविनाथ, बूटा सिंह, कर्मजीत सिंह, लछमन सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन्हें इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं, अवैध तरीके से शराब बेचने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी सर्च तेज कर दी गई है। >> दो दिन से दिखाई न देने व चक्कर आने की थी समस्या : पेज 3

चप्पा-चप्पा छान रही पुलिस



जहरीली शराब से मौतों के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। डीएसपी मनदीप सिंह संधू शुक्रवार को अपनी टीमों के साथ टिब्बी रविदासपुरा बस्ती पहुंचे। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर चप्पे-चप्पे की छानबीन की और जहरीली शराब की कुछ बोतलें भी बरामद कीं। इन बोतलों का ब्रांड गुज्जरा में मिली शराब वाला ही मिला। डीएसपी मनदीप सिंह संधू ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जहरीली शराब के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों ने इस काले कारोबार को करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

मानवाधिकार आयोग ने सरकार से तलब की रिपोर्ट

नई दिल्ली। संगरूर जिले के गुज्जरा में जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंजाब सरकार को नोटिस दिया है। आयोग ने राज्य सरकार से इस मामले में चार हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने इस मामले में मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। एक बयान में कहा गया है कि संगरूर से गुज्जरा गांव में 19-20 मार्च की दरमियानी रात में जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, इस मामले में पांच अन्य लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आयोग ने कहा कि यदि मीडिया रिपोर्ट सच है तो यह मृतकों के मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मसला है। रिपोर्ट में पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की स्थिति, पीड़ितों का चिकित्सा उपचार और पीड़ित परिवारों को दिया गया मुआवजा, यदि कोई हो, शामिल होना चाहिए। आयोग इसके लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी जानना चाहेगा। एजेंसी

Hooch Tragedy: Death toll in Sangrur rises to 14, two more arrested

PNS ■ CHANDIGARH/SANGRUR

The death toll from the suspected consumption of spurious liquor in Sangrur district has climbed to 14, with six more fatalities reported on Friday.

Following the tragic incident, law enforcement authorities have intensified their efforts, leading to the arrest of two additional suspects. With these apprehensions, a total of six individuals have been detained in connection with the case.

Earlier on Thursday, the police had discovered large quantities of ethanol and raw materials utilized in the production of alcohol, hinting at the clandestine operation behind the illicit liquor trade.

Deputy Inspector General of Police Harcharan Singh Bhullar said: "Fourteen people have died in this incident so far. We have made two fresh arrests in the case. Investigations are on and culprits will not be spared."

The police had earlier suggested that the sale of spurious liquor could be linked to attempts to influence voters ahead of the upcoming Lok Sabha elections.

The tragedy unfolded on Wednesday when five individuals reportedly lost their lives after consuming the toxic brew, while several others were rushed

to hospitals. The situation took a turn for the worse on Thursday when three more victims succumbed to their ailments while undergoing treatment at Patiala's Rajindra Hospital. In the latest developments, two more fatalities were recorded late Thursday night, followed by four more deaths on Friday morning, bringing the total fatalities in the incident to a distressing 14. While most of the casualties occurred in various villages under the Dirba block of Sangrur, additional deaths were reported from the Sunam area, underscoring the widespread impact of the tragedy across the district. Authorities remain vigilant as investigations continue, aiming to identify all those involved in the illegal liquor trade and to prevent further tragedies of this nature from occurring in the future.

Punjab Finance and Excise and Taxation Minister Harpal Singh Cheema, who is under fire from the opposition over the deaths in Gujran village which falls in his Dirba assembly constituency, had on Thursday said that whosoever responsible for this incident will not be spared.

Meanwhile, the Congress and the Akali Dal hit out at the AAP government over the Sangrur hooch tragedy with SAD president Sukhbir Singh

Badal demanding a judicial probe into the tragedy, while Congress' Partap Singh Bajwa sought Cheema's resignation.

NHRC Notice to Punjab Govt

Taking suo motu cognizance of a media report, the National Human Rights Commission on Friday issued a notice to the Punjab Government over the reported death of five people after consuming spurious liquor in Sangrur district. The Commission has sought a report within four weeks. Observing that the media report's contents, if true, amount to serious issues of violation of human rights of the victims, the Commission stated, "Apparently, the incident shows the negligence of local administration and the state government in prohibiting the sale and consumption of spurious liquor. Accordingly, it has issued the notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Punjab, calling for a detailed report in the matter at the earliest but not later than four weeks," the Commission said.

"The report should include the status of the FIR registered by the police, medical treatment of the victims and compensation if any, granted to the aggrieved families.

संगरूर में मौतों का सिलसिला जारी • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

जहरीली शराब से 24 घंटे में 10 और मौतें

मृतक संख्या 18 हुई, 31 का चल रहा इलाज

भास्कर न्यूज़। संगरूर/दिड़बा

जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को 10 और लोगों ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ मृतकों का आंकड़ा 18 पहुंच गया है। इसके अलावा संगरूर और पटियाला में अब भी 31 लोगों का इलाज चल रहा है। मरने वाले अधिकतर सुनाम हलके के अंतर्गत आने वाले टिब्बी रविदासपुरा के निवासी हैं। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। इस बीच डीसी जतिंदर जोरवाल का कहना है कि हाई पावर जांच कमेटी रात या सुबह तक रिपोर्ट दे देगी। रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई के लिए सरकार को सिफारिश भेज दी जाएगी।

वहीं, विभिन्न संगठनों ने मृतकों के परिवारों के सदस्यों को साथ लेकर डीसी दफ्तर के समक्ष पक्का मोर्चा लगा दिया है। आश्रित अब 25 लाख की बजाए 10 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और कर्ज माफ करने की मांग कर रहे हैं। इनकी यह भी मांग है कि सरकार मृतक परिवारों के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी ले। बता दें कि जहरीली शराब बनाने वाले सरगना समेत चार को गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकारियों ने यह भी कहा था कि जहरीली शराब अब भी क्षेत्र में मौजूद है। जिस कारण मौत का सिलसिला दिड़बा हलके के बाद सुनाम में शुरू हो गया है। • शेष पृष्ठ 7 पर

मत रोओ, मैं तो तेरे साथ हूँ...



संगरूर में डीसी दफ्तर के बाहर पक्का मोर्चा लगाकर बैठा पीड़ित परिवार।

तस्करि नहीं रोक पाने के लिए ये 4 अफसर जिम्मेदारी

- दिड़बा हलके में एक्सइड्ज विभाग के इंसपेक्टर मोहन सिंह और सुनाम हलके में प्रकाश सिंह तैनात हैं। ये दोनों अफसर तस्करि रोकने में नाकामयाब रहे।
- दिड़बा के एसएचओ गुरमीत सिंह और सुनाम के एसएचओ सुखदीप सिंह भी तस्करों को नहीं रोक पाए।

तस्कर का कोर्ट में किया था चालान, रूटीन में चेकिंग करते हैं: एसएचओ दिड़बा के एसएचओ गुरमीत सिंह का कहना है कि तस्कर मनप्रीत सिंह पर पिछले माह ही मामला दर्ज किया था। उससे 18 बोतल शराब बरामद की गई थी। 16 मार्च को कोर्ट में चालान पेश किया गया है। पुलिस की ओर से रूटीन में नाकाबंदी और चेकिंग की जाती है। वहीं, एईटीसी (आबकारी) रोहित गर्ग के मुताबिक विभाग की टीम लगातार नाके लगाकर तस्करों को पकड़ती है।

भास्कर पहुंचा पीड़ितों के पास: दावों की पोल खोली

संगरूर के सिविल अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, कई सालों तो पिंड विच्छों शराब लेंदे हां। रात नू गहिवां च शराब पिंड विच पहुँचदी ए। पिंड दे लोक तस्कर दे घरों 150 विच बोतल ले लेंदे ने। ठेके तो 220 दी मिलदी ए। मैं वी हर रोज तस्कर दे घरों बोतल लेंके आऊँदा हूँ। वीरवार नू शराब पीन तो बाद शुक्रवार दी सबेरे अक्खां अगे हनेरा आण लग्येया। उल्टीयां लग गइयां। जिस तो बाद अस्पताल विच भर्ती करवा दिता। 26 साल के सतनाम सिंह ने बताया कि वह और उसका 18 साल का चेला वीरपाल पेंटर का काम करते हैं। कभी-कभी थकावट मिटाने के लिए शराब का सेवन कर लेते थे। उस दिन ठेका बंद था। जिसके कारण गांव के रहने वाले मनी ने अपने जानकार से शराब की बोतल मंगवाकर दी और खुद भी साथ बैठकर पी। अगले दिन उन्हें चक्कर आने लगे और आँखों से धुंधला दिखने लगा। इसके बाद संगरूर अस्पताल में दाखिल करवाया गया। जहाँ से पटियाला रेफर कर दिया गया। • शेष पृष्ठ 7 पर

गड़ियां च शराब पिंड पहुँचदी ए, मैं रोज लेंदा हं

भास्कर आबकारी किमाग ने 64000 किलो इन्स्पेक्ट लाहन, 45 लीटर अवैध शराब पकड़ी

भास्कर इन्वेस्टिगेशन • शराब बनने के बिना पुरिया का इन्वेन्चल दसूहा के 500 एकड़ जंगल में सैकड़ों महिलां चल रहीं, तैयार हो रही शराब

भास्कर में 22 मार्च के अंक में छपी छबर

होशियारपुर/दसूहा। आबकारी विभाग ने दसूहा और मुकेरिया के साथ लगते व्यास दरिया के किनारे मंड क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाकर 64,000 किलो लाहन के साथ 45 लीटर अवैध शराब बरामद की।

पेज-1 के शेष**जहरीली शराब से 24 घंटे में****10 और मौतें...**

पहले माना जा रहा था कि जहरीली शराब की सप्लाई दिड़वा के गांव गुजरां में ही की गई है लेकिन शुक्रवार को सुनाम क्षेत्र में हुई मौत से साबित हो गया कि जहरीली शराब संगरूर के दूसरे शहरों में भी पहुंच चुकी है। इसे रिकवर करने के लिए पुलिस डोर-टू-डोर जांच कर रही है। प्रशासन भी जिले में अनाउसमेंट करवा रहा है कि कोई भी व्यक्ति सस्ती शराब लेकर सेवन न करें और शराब बेचने वालों की जानकारी पुलिस को दें। तीन दिन में 16 लोगों की मौत हो चुकी है।

इनकी गई जान: शुक्रवार को दम तोड़ने वालों में जरनैल सिंह निवासी गुजरां, ज्ञान सिंह निवासी जखेपल, लच्छा सिंह निवासी लेहलकलां, सफी नाथ निवासी समाना, बुध सिंह निवासी टिब्बी रविदासपुरा, दर्शन सिंह निवासी टिब्बी रविदासपुरा, दर्शन सिंह पुत्र कपूर सिंह निवासी टिब्बी रविदासपुरा, हरजीत सिंह निवासी गुजरां, रवि और कर्मजीत सिंह निवासी सुनाम शामिल हैं। जरनैल सिंह पटियाला के राजिंद्रा अस्पताल में उपचारार्थीन था, जबकि लच्छा सिंह और सफी नाथ टिब्बी रविदासपुरा सुनाम में अपने रिश्तेदार के पास आए हुए थे। शराब तस्करी मामले में अब तक कार्रवाई : शराब तस्करी के मामले में पुलिस अब तक शराब तस्कर

मनप्रीत सिंह उर्फ मनी निवासी गुजरां, सुखविंदर सिंह निवासी गुजरां, गुरलाल सिंह निवासी उभावाला, हरमनप्रीत सिंह निवासी तेईपुर के खिलाफ हत्या व एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। मास्टरमाइंड हरमनप्रीत सिंह है जोकि घर पर ही फैक्टरी लगाकर शराब बनाता था।

इन पर है जांच की जिम्मेदारी: डीसी जतिंदर जोरवाल की ओर से हाई पावर जांच कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी का चेयरमैन एसडीएम दिड़वा को लगाया गया है। जबकि डीएसपी दिड़वा, एसएमओ दिड़वा व ईटीओ (आबकारी) को सदस्य लगाया गया है। वहीं पुलिस की ओर से भी एसपी की अगुवाई में जांच कमेटी का गठन किया गया है।

एनएचआरसी ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर मांगी रिपोर्ट

<https://www.punjabkesari.in/national/news/nhrc-issues-notice-to-punjab-government-and-asks-for-report-1957162>

नेशनल डेस्क : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संगरूर जिले में नकली शराब पीने से हुई पांच लोगों की कथित मौत को लेकर शुक्रवार को पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। आयोग ने पंजाब सरकार से इस घटना के सिलसिले में चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। उसके एक बयान में कहा गया है, “ एनएचआरसी ने मीडिया की इस खबर का स्वतः संज्ञान लिया है कि पंजाब में संगरूर जिले के गुजरान गांव में 19-20 मार्च की दरम्यानी रात को नकली शराब पीने के बाद पांच लोगों की मौत हो गयी। खबर है कि अन्य पांच लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।” उसने कहा है कि यदि यह खबर सही है तो यह हताहतों के मानवाधिकार के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है।

आयोग ने कहा, “ जाहिर तौर पर, यह घटना नकली शराब की बिक्री एवं सेवन के रोकथाम में स्थानीय प्रशासन एवं राज्य सरकार की लापरवाही दर्शाती है। ऐसे में, पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर उनसे इस मामले में अधिकतम चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गयी है।” उसने कहा, “रिपोर्ट में पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी की स्थिति, बीमार लोगों के उपचार, पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति (यदि कोई दी गयी है तो) का जिक्र होना चाहिए। आयोग यह भी जानना चाहेगा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है।” खबरों के मुताबिक 18 मार्च, 2024 को इन लोगों ने नकली शराब पी थी और जब उनकी स्थिति बिगड़ने लगी तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

Sangrur hooch tragedy toll rises to 17 as 9 more succumb

NHRC Seeks Report From DGP In 4 Weeks

Bharat.Khanna
@timesgroup.com

Patiala: The death toll in the Sangrur hooch tragedy in Punjab mounted to 17 on Friday after nine more people succumbed to the toxic effects of spurious liquor consumption.

The deceased have been identified as Jarnail Singh (50) and Harjit Singh (47) of Gujran village in Dirba division and Gian Singh (32) of Jakhepal village, Lacha Singh (35), Budh Singh (68), Safi Nath (70), Darshan Singh and Darshan Singh 2, all of Tibbi village in Sunam division. Ravi, son of Deshram, 25, belonging to Sunam, died later on Friday evening.

The eight people, declared dead till Thursday evening, included Bhola Singh (55), Jagjit Singh (27), two brothers Pargat Singh (40) and Nirmal Singh (40), who died on Wednesday.

Laddi Singh (27) of Gujran village, Gursewak Singh of Uppali village, Kirpal Singh and Kuldeep Singh (26) of Dhandoli Khurd village succumbed after being referred to Government Rajindra Hospital.

Several others have been hospitalised and are undergoing treatment at government hospitals in Sangrur and Patiala.

Sangrur civil surgeon Dr Kirpal Singh said that a total of 33 patients were brought to hospitals, of which 15 were still undergoing treatment and two others have left hospital in Sangrur and Patiala during treatment.

He said earlier that so far

five patients at Government Hospital in Sunam, six patients at Sangrur civil hospital and five patients at Rajindra Hospital in Patiala had succumbed to the infection. Ravi died later.

Eight arrested till now

The police have arrested eight people in connection with the case, four of whom were arrested on Friday.

While Pardeep Singh, Sohma, Sanjhu, all of Jakhepal village, and Arshdeep Singh alias Arsh of Rogla village were arrested on Friday, Manpreet Singh Mani and Sukhwinder Singh Sukhi of Gujran village were arrested on Wednesday.

Gurlal Singh of Ubhawal village and his accomplice Harmanpreet Singh of Tailpur village of Patran in Patiala were arrested later.

The case against these accused was registered under sections 302 (murder) and 34 of Indian Penal Code (IPC) and 61/1/14 of Excise Act at Dirba police station on the statement of the wife of one of the deceased.

Sangrur deputy commissioner Jatinder Jorwal on Friday said, "Sixteen people have died so far. Five villages, including Jakhepal, Tibbi, Gujran, Uppli, Dhandoli Khurd have been affected so far."

Medical superintendent at Government Rajindra Hospital in Patiala Dr HS Rekhi, said, "A total of 13 patients were brought on referral to our hospital of which five had succumbed to injuries and one of these has been discharged. Those remaining are undergoing treatment."

Notably, the police claimed to have busted the gang involved in this illegal trade of spurious liquor and recovered in huge quantities the



Several Dalit forums have started a protest near DC Office in Sangrur for an indefinite period, demanding judicial probe into the matter

Protest near DC office

Several Dalit organisations have staged protest near the Sangrur DC Office for indefinite period demanding judicial probe in the matter, compensation for the deceased and victims and action against the erring excise and police officials for negligence to stop illegal trade. Zamin Prapti Sangharsh Committee zone committee member Gurmukh Singh said, "We had started a protest in front of the DC office Sangrur over these demands."

spurious liquor and other equipment being used for its manufacturing and labelling.

Panel to submit report

A fact-finding committee — comprising Dirba SDM, DSP, SMO, excise and taxation officer and SHO — constituted by the Sangrur deputy commissioner on Wednesday has been asked to submit its report within three days.

NHRC takes cognisance

The National Human Rights Commission has taken suo motu cognisance of the incident. It observed that the "contents of the media report, if true, amount to serious issues of violation of the human rights" of the victims.

"Apparently, the incident

liquid. Seven more people are said to be seriously ill. The situation seems to have been deteriorating in the region. People of the area put the blame of deaths on spurious liquor. However, the excise minister is busy protesting against the arrest of AAP national convener Arvind Kejariwal," Bajwa said.

The senior Congress leader said that the insensitive attitude of the Punjab CM can be gauged from the fact that he still has not issued a statement on the deaths in Dirba caused by illicit liquor.

"It shows that the CM has grown a thick skin," he said.

"At a time when the presence of the CM is expected amid the people of Punjab, particularly with the people of the hooch-affected area, he is busy lodging a protest against the arrest of the AAP supremo. It establishes that he is not loyal to the people," Bajwa said.

'Liquor mafia has direct patronage of finance min'

Punjab Pradesh Congress Committee president Amrinder Singh Raja Warring on Friday said hooch tragedy was avoidable had the administration acted on time. He claimed that liquor mafia had the direct patronage of state govt and there was no fear of law in their minds.

Are they not operating with impunity under this regime, Warring asked after meeting the victims of the tragedy at a hospital. Punjab finance minister Harpal Singh Cheema has direct responsibility for the lives lost and he must resign immediately, Warring said. "Bereaved families are claiming that because of the lack of an ambulance a person could not be brought to the civil hospital in time," Warring said.

shows the negligence of the local administration and the state government in prohibiting the sale and consumption of spurious liquor," it observed.

Accordingly, it has issued the notices to the chief secretary and the director general of police, Punjab calling for a detailed report in the matter at the earliest but not later than four weeks.

Bajwa slams CM Mann

After the report of six deaths in Sunam came to the fore, leader of opposition (LoP) Pardeep Singh Bajwa on Friday slammed Punjab chief minister Bhagwant Mann and excise minister Harpal Singh Cheema for not taking the matter seriously.

"As per some reports, six people have died in Sunam by drinking some contaminated

जहरीली शराब से हुई 5 मौते, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंजाब को भेजा नोटिस

<https://jantaserishta.com/local/punjab/5-deaths-due-to-poisonous-liquor-national-human-rights-commission-sent-notice-to-punjab-3178399>

<https://www.bhaskar.com/local/punjab/patiala/news/10-more-deaths-due-to-poisonous-liquor-in-24-hours-death-toll-18-31-undergoing-treatment-132764605.html>

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुक्रवार को संगरूर जिले में जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत की सूचना पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। आयोग ने चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। "एनएचआरसी ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है कि 19-20 मार्च की मध्यरात्रि को पंजाब के संगरूर जिले के गुजरान गांव में जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत हो गई। कथित तौर पर, अन्य पांच लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।", "एनएचआरसी के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है। आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सच है, तो पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मुद्दे हैं।" जाहिर तौर पर, यह घटना नकली शराब की बिक्री और खपत पर रोक लगाने में स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की लापरवाही को दर्शाती है। तदनुसार, इसने पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर विस्तृत जानकारी मांगी है। मामले में जल्द से जल्द रिपोर्ट दें, लेकिन चार सप्ताह से पहले नहीं," आयोग ने कहा। "रिपोर्ट में पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की स्थिति, पीड़ितों का चिकित्सा उपचार और पीड़ित परिवारों को दिया गया मुआवजा, यदि कोई हो, शामिल होना चाहिए। आयोग इसके लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी जानना चाहेगा। घटना, "यह जोड़ा गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ितों ने 18 मार्च को जहरीली शराब पी थी। उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया।